

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
अधिसूचना

संख्या— बि०व०से० (आ०)—०१/२०२५—३०४२/प०व०ज०प० पटना, दिनांक:—१७/०६/२०२५

श्री सुबोध कुमार गुप्ता, बि०व०से०, वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल, पटना को भ्रष्टाचार के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, २००५ के नियम—९ (१) के संगत प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री सुबोध कुमार गुप्ता, बि०व०से० का मुख्यालय वन संरक्षक, पूर्णियाँ का कार्यालय निर्धारित किया जाता है। उक्त अवधि में श्री गुप्ता राज्य सरकार की बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

निलंबन अवधि में श्री गुप्ता को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, २००५ के नियम—१० के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/—

(राजीव कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:—बि०व०से०(आ०)—०१/२०२५—३०४२/प०व०ज०प० पटना, दिनांक:—१७/०६/२०२५

प्रतिलिपि :— ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. एवं दो अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

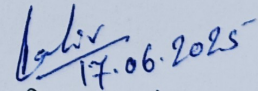
ह०/—

(राजीव कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:— बि०व०से० (आ०)—०१/२०२५—३०४२/प०व०ज०प०पटना, दिनांक:—१७/०६/२०२५

प्रतिलिपि :— माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/ वन संरक्षक, पटना/वन संरक्षक, पूर्णियाँ/श्री सुबोध कुमार गुप्ता, बि०व०से०, वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना/आई.टी.मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(राजीव कुमार)

सरकार के अवर सचिव